

¹[नियम 109ख : पुनरीक्षण के मामले में व्यक्ति को नोटिस और पुनरीक्षण प्राधिकारी का आदेश

- (1) जहां धारा 108 के अधीन पुनरीक्षण प्राधिकारी पुनरीक्षण में आदेश पारित करने का विनिश्चय करता है जिससे व्यक्ति के विपरीत रूप से प्रभावित होने की संभावना है, वहां पुनरीक्षण प्राधिकारी उसे **प्ररूप जीएसटी आरवीएन-01** में नोटिस देगा और उसे सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करेगा।
 - (2) पुनरीक्षण प्राधिकारी धारा 108 की उपधारा (1) के अधीन अपने आदेश के साथ **प्ररूप जीएसटी एपीएल-04** स्पष्ट रूप से संपुष्ट मांग की अंतिम रकम दर्शित करते हुए आदेश का सार जारी करेगा।]
-

¹ अधिसूचना क्रमांक 74/2018-केन्द्रीय कर, दिनांक 31.12.2018 द्वारा नियम 109ख अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 31.12.2018)।